न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी	- श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रा0 पत्र संख्या	- 11/2020
दायरा दिनांक	- 24.07.2020
निर्णय दिनांक	- 24/2/21

उनवान

1. नन्नूराम पुत्र महादेवा जाति मीना निवासी चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

-- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बानसूर, तहसील बानसूर जिला अलवर

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी - श्री गौरीशंकर सैनी एड.
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.34 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 815 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.23 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 816 रकबा 18 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.37 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 820 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.38 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 821 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1134 रकबा 0.57 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 819 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1167 रकबा 0.13 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 862 रकबा 10 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1168 रकबा 0.09 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 863 रकबा 07 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.02 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 864 रकबा 02 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1170 रकबा 0.57 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 865 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.10 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 866 रकबा 08 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.09 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 873 रकबा 08 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.58 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 874 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, वाके मौजा चतरपुरा तहसील बानसूर दौराने बन्दोबस्त संवत 2060 से बने है जो कि प्रार्थी की बुर्जुगानी आराजी [illegible] मृतक महादेवा के जायज वारीसान है। मृतक महादेवा की मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत के नामान्तकरण संख्या 1272 की जिल्द भरते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम [illegible] बोलते नाम नन्दलाल [illegible] महादेवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात में सही नाम नन्नुराम पुत्र महादेवा दर्ज है। उक्त गलत इन्द्राजात का अमल विरासत इन्तकाल 1272 के बाद हाल राजस्व रिकार्ड में बदस्तुर चला आ रहा है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य खातेदारी की आराजी में सही नाम नन्नूराम ही दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम नन्दलाल के बजाय नन्नूराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि विरासत नामान्तकरण संख्या 1272 में प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र महादेवा दर्ज है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना की जावेगी।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। विवादित आराजी प्रार्थी के मृतक पिता महादेवा पुत्र रामलाल के विरासत के नामान्तकरण संख्या 1272 से प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र महादेवा दर्ज है तथा अन्य खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.39 हैक्ट. वाके मौजा चतरपुरा में प्रार्थी का नाम नन्नुराम पुत्र महादाराम दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी के आधारकार्ड में प्रार्थी का नाम नन्नूराम पुत्र माधा दर्ज है। उक्त् दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.34 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1112 रकवा 0.23 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.37 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1116 रकवा 0.38 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1134 रकवा 0.57 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1167 रकवा 0.13 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1168 रकबा 0.09 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.02 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1170 रकबा 0.57 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1171 रकवा 0.10 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.09 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1180 रकवा 0.58 हैक्ट., वाके मौजा चतरपुरा तहसील बानसूर में दर्ज प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र महादेवा के स्थान पर नन्दलाल उर्फ नन्नूराम पुत्र महादेवा उर्फ महादाराम उर्फ माधा संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:16 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 24/2/21 .... को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner